कार्यालय मध्यप्रदेश स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति, भोपाल

(08, अरेरा हिल्स, म.प्र. राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक परिसर, भोपाल)

सामाजिक अंकेक्षण राज्य इकाई में रिक्त पदों हेतु आवेदन आमंत्रित है

क्रमांक 1427 /MPS-4/NR-6/148/2016 भोपाल, दिनांक 18/10/2016

---00---

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश अंतर्गत संचालित योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण हेतु गठित संस्था **"म.प्र. स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति"** में संविदा के आधार पर मार्च 2017 तक की अवधि तक के लिए भर्ती की जानी है। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों से दिनांक 15 नवम्बर, 2016 सांय 05:00 बजे तक निर्धारित प्रारूप में निम्न पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

1. राज्य स्तरीय सामाजिक विकास विशेषज्ञ– पद संख्या– 01
2. राज्य स्तरीय सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ– पद संख्या– 04

आवेदन पत्र "म.प्र. स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति, 08, अरेरा हिल्स, म.प्र. राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक परिसर, भोपाल" में प्रस्तुत किए जावेंगे।

विस्तृत विवरण एवं आवेदन पत्र प्रारूप पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाईट www.mppanchayatdarpan.gov.in एवं मनरेगा परिषद्, भोपाल की वेबसाईट www.nregs-mp.org पर उपलब्ध है। जानकारी कार्यालयीन दूरभाष क्र. 0755–2575559 एवं 2575560 पर भी प्राप्त की जा सकती है।

संचालक
म.प्र स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति
भोपाल

राज्य इकाई हेतु पद का विवरण

क्र.	पद का नाम	संख्या	पारिश्रमिक	अर्हता एवं कार्यानुभव	आरक्षण
1.	राज्य स्तरीय सामाजिक विकास विशेषज्ञ	01	40,000/–	1. समाज विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। 2. अशासकीय क्षेत्र का होकर सिविल सोसायटी का प्रतिनिधि। 3. गरीबों के अधिकारों एवं सामाजिक अंकेक्षण कार्य/जवाबदेही संबंधी मुद्दों पर न्यूनतम 05 वर्ष का कार्यानुभव।	–
2.	राज्य स्तरीय सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ	04	20,000/–	1. सिविल सोसायटी संगठन के कार्यकर्ता। 2. अधिकारिता आधारित क्षेत्र में मैदानी स्तर पर 03 वर्ष का कार्यानुभव।	01–अजा 01–अजजा 01–महिला (अनारक्षित) 01–अनारक्षित

2. राज्य स्तरीय सामाजिक विकास विशेषज्ञ के दायित्व –

1. सामाजिक अंकेक्षण हेतु वार्षिक कैलेण्डर का निर्माण एवं अनुमोदित कैलेण्डर के अनुक्रम में ऑडिट ऑफ स्कीम रूल्स, 2011 के प्रावधानानुसार प्रदेश में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया का संचालन एवं अनुश्रवण। इस हेतु जिला एवं विकासखण्ड स्तर से समन्वय।
2. सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया एवं कार्यालयीन कार्यों में संचालक को सलाह एवं सहायता देना।
3. स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ समन्वय कर सामाजिक अंकेक्षण राज्य इकाई एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के मध्य प्रभावी साझेदारी स्थापित करना।
4. मैदानी स्तर के अपने कार्यानुभव का उपयोग करते हुए रिपोर्ट, मैन्यूअल, नियम, दिशा–निर्देश एवं प्रशिक्षण मॉड्यूल आदि निर्माण।
5. सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में संलग्न कर्मियों का क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण आयोजित करना।
6. सामाजिक अंकेक्षण से प्राप्त प्रतिवेदनों पर शोध एवं डाटा का विश्लेषण।
7. जिला स्तर से सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया की प्रगति संबंधी जानकारी प्राप्त करना।
8. विभिन्न विभागों एवं अन्य बाह्य संस्थाओं से प्रभावी संचार एवं संवाद हेतु प्रक्रिया निर्धारण।
9. समय–समय पर सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया एवं स्रोत व्यक्तियों का मूल्यांकन करना एवं संचालक को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
10. मनरेगा तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म.प्र अंतर्गत अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन एजेंसी तथा सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में सहयोग करने वाले विश्वसनीय स्वयं सेवी संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना जिससे कि स्थानीय स्तर पर इन संस्थाओं का सहयोग एवं प्रतिक्रिया प्राप्त हो सके।
11. ऐसी समस्त गतिविधियों का संपादन जो समिति के उद्देश्य व लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवश्यक हो।

12. सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों का संचालन। सफलता की कहानी का प्रकाशन।
13. सामाजिक अंकेक्षण विशेष ग्राम सभाओं के पश्चात आयोजित जनसुनवाई में सहयोग एवं प्रतिभागिता।
14. जनसुनवाई से प्राप्त निर्णयों पर अग्रेत्तर कार्यवाही का अनुश्रवण एवं कृत कार्यवाही का प्रतिवेदन जिलों से प्राप्त करना।
15. सामाजिक अंकेक्षण पर वार्षिक प्रतिवेदन निर्माण।
16. संचालक द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।

3. **राज्य स्तरीय सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ के दायित्व –**

1. सामाजिक अंकेक्षण हेतु वार्षिक कैलेण्डर का निर्माण एवं अनुमोदित कैलेण्डर के अनुक्रम में ऑडिट ऑफ स्कीम रूल्स, 2011 के प्रावधानानुसार प्रदेश में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया का संचालन एवं अनुश्रवण। इस हेतु जिला एवं विकासखण्ड स्तर से समन्वय।
2. सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया एवं विशेष ग्राम सभा में प्रतिभागिता।
3. सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में संलग्न कर्मियों का क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण आयोजित करना।
4. मैदानी स्तर पर अपने कार्यानुभव का उपयोग करते हुए रिपोर्ट, मैन्यूअल, नियम, दिशा–निर्देश एवं प्रशिक्षण मॉड्यूल आदि निर्माण।
5. सामाजिक अंकेक्षण से प्राप्त प्रतिवेदनों का विश्लेषण एवं उनकी ऑनलाईन प्रविष्टि।
6. ऐसी समस्त गतिविधियों का संपादन जो समिति के उद्देश्य व लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवश्यक हो।
7. मनरेगा तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म.प्र अंतर्गत अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन एजेंसी तथा सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में सहयोग करने वाले स्वयं सेवी संगठनों से समन्वय स्थापित करना।
8. सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों का संचालन। सफलता की कहानी का प्रकाशन।
9. सामाजिक अंकेक्षण विशेष ग्राम सभाओं के पश्चात आयोजित जनसुनवाई में सहयोग एवं प्रतिभागिता।
10. जनसुनवाई से प्राप्त निर्णयों पर अग्रेत्तर कार्यवाही का अनुश्रवण एवं जिलों से कृत कार्यवाही का प्रतिवेदन जिलों से प्राप्त करना।

11. आवंटित जिलों में जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों के सहयोग से विलेज सोशल एनिमेटर (VSA) चिन्हांकन, प्रशिक्षण एवं पारिश्रमिक भुगतान हेतु निर्धारित प्रपत्रों में जानकारी प्राप्त कर भुगतान की सुनिश्चितता।

12. सामाजिक अंकेक्षण पर वार्षिक प्रतिवेदन निर्माण।

13. संचालक द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।

4. राज्य स्तरीय पदों हेतु चयन मानदण्ड –

क्र.	मापदण्ड	प्राथमिकता (%) Weightage
1.	शैक्षणिक योग्यता	10
2.	सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया संचालन में कार्यानुभव, जिसमें आवेदक द्वारा सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया का संचालन का विवरण, ऑडिट ऑफ स्कीम रूल्स, 2011 के अनुक्रम में प्रस्तुत सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट के मूल्यांकन एवं मैदानी स्तर पर कार्य का अनुभव।	50
3.	साक्षात्कार	20
4.	लिखित परीक्षा	20
	योग	100

5. आवेदन की शर्तें –

1. आवेदन पत्र के लिए प्रारूप निर्धारित है, अतः समस्त आवेदन निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भर कर प्रस्तुत किए जावे। अपूर्ण आवेदन स्वतः ही अमान्य होगें।
2. प्रथम संविदा अवधि 31 मार्च, 2017 तक रहेगी।
3. ऊपर दिए गए पद पूर्ण रूपेण सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया की आवश्यकतानुरूप हैं तथा इन पदों को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से निरस्त करने का अधिकार सामाजिक अंकेक्षण राज्य इकाई का होगा।
4. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में पासपोर्ट साईज का फोटो, शैक्षणिक गतिविधियों की प्रमाणित प्रतियां, आयु प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, मूल–निवासी प्रमाण–पत्र, पहचान पत्र की प्रति जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जॉबकार्ड अथवा पेनकार्ड इत्यादि में से कोई एक एवं निर्धारित कार्यानुभव प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित छायाप्रति सहित दिनांक 15 नवम्बर, 2016 सांय 05:00 बजे तक **संचालक, म.प्र स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति कार्यालय, 08 अरेरा हिल्स, राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक परिसर, भोपाल–462011** को प्रस्तुत किए जावें। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
5. भर्ती हेतु चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा।
6. चयनित अभ्यार्थियों के अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जावेगी।

7. लिफाफे पर पदनाम अवश्य लिखा जावे।

8. चयन हेतु लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

9. निर्धारित से कम योग्यता/अनुभव वाले आवेदन–पत्र एवं अन्य शर्तें पूर्ण न होने की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

10. 10 रू. के डाक टिकट वाला स्वयं का पता लिखा हुआ एक जवाबी लिफाफा आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न किया जावे।

11. आवेदन पत्र में दर्शाए गए समस्त कॉलम की प्रतिपूर्ति न होने एवं सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं पाए जाने की स्थिति में आवेदन पत्र स्वतः ही अमान्य माना जावेगा।

संविदा नियुक्ति की शर्तें

म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संविदा नियुक्ति के लिए समय–समय पर जारी किए जाने वाले निर्देश/शर्तें उपरोक्त संविदा नियुक्ति पर लागू होंगी।

म.प्र. स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति में
राज्य स्तरीय सामाजिक विकास विशेषज्ञ/सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ
के रूप में सेवाएं प्रदान करने के लिए चयन हेतु
आवेदन–पत्र

आवेदक की
फोटो चस्पा करें

1. व्यक्तिगत जानकारी

आवेदित पद का नाम	
आवेदक का नाम	
पिता का नाम	
लिंग	
जन्म तिथि	
आयु (01 अक्टूबर, 2016 की स्थिति में)	
नागरिकता	
भाषा ज्ञान (हिन्दी/अंग्रेजी/अन्य)	
कम्प्यूटर योग्यता (PGDCA/DCA/ सर्टिफिकेट कोर्स/कार्यानुभव)	
विवाहित/अविवाहित	
मोबाईल नम्बर एवं ईमेल आईडी	
जाति/वर्ग	
गृह जिला	
वर्तमान पता (पत्र व्यवहार हेतु)	
स्थाई पता	

2. शैक्षणिक योग्यता–

परीक्षा विवरण (बोर्ड / विश्वविद्यालय)	परीक्षा वर्ष	विषय	प्रतिशत एवं श्रेणी

नोट–अंक सूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

3. अर्हता एवं कार्यानुभव का विवरण–

संस्थान का नाम	धारित पद	संस्था का प्रकार (शासकीय / सार्वजनिक क्षेत्र / स्वयं सेवी संस्था / अन्य)	अवधि		पद से संबंधित दायित्वों का संक्षिप्त विवरण	धारित पद पर प्राप्त परलब्धियां
			कब से	कब तक		

नोट–कार्यानुभव प्रमाण–पत्र एवं परिलब्धियां की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

4. अन्य कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त हैं तो उसका विवरण–

5. सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया संचालन में कार्यानुभव एवं प्रक्रिया संचालन का विवरण :–

6. ऑडिट ऑफ स्कीम रूल्स, 2011 के अनुसार सम्पादित किन्हीं 02 सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया जिसमें आवेदक द्वारा प्रतिभागिता की गई हो विस्तृत रिपोर्ट अनिवार्यतः संलग्न की जावे :–

1. सामाजिक अंकेक्षण–

2. सामाजिक अंकेक्षण–

7. सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया संचालन में मैदानी स्तर पर कार्यानुभव का विवरण –

नोट– अनुभव संबंधी प्रमाणक की स्वप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करें।

8. गरीबों के अधिकारों एवं सामाजिक अंकेक्षण कार्य/जवाबदेही संबंधी मुददों पर अनुभव का विवरण (राज्य स्तरीय सामाजिक विकास विशेषज्ञ पद हेतु लागू) –

नोट– अनुभव संबंधी प्रमाणक की स्वप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करें।

9. अधिकारिता आधारित क्षेत्र में मैदानी स्तर पर कार्य करने के आपके अनुभव का विवरण (राज्य स्तरीय सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ पद हेतु लागू) –

नोट– अनुभव संबंधी प्रमाणक की स्वप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करें।

10. न्यायालयीन/आपराधिक प्रकरण यदि हो, तो संक्षिप्त विवरण अंकित करें –

11. 02 संदर्भित व्यक्तियों के नाम, पता एवं सम्पर्क नम्बर –

दिनांक :
स्थानः

नाम :
आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण

मैं .... पिता/पति.......................... यह प्रमाणित करता/करती हूँ, कि आवेदन पत्र में मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी मेरे संज्ञान के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही है। जानकारी असत्य पाए जाने की स्थिति में आवेदन पत्र अमान्य करने एवं अन्य वैधानिक कार्यवाही का पूर्ण अधिकार विभाग को होगा।

दिनांक : ....

आवेदक के हस्ताक्षर

<u>संलग्न दस्तावेजों की सूची</u>

क्र.	निर्धारित दस्तावेज/प्रमाण–पत्र
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

दिनांक : आवेदन का नाम :

स्थानः हस्ताक्षर